

निविदा की शर्तें

1. भवन निर्माण विभाग की संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के अंतर्गत समुचित श्रेणी या इससे एक श्रेणी उपर में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. प्राक्कलित राशि घट- बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य मान्य होंगे।
3. परिमाण विपत्र के क्रय हेतु आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण- पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं परिमाण विपत्र के मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) के समतुल्य राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्गत तथा भारतीय स्टेट बैंक की गोड्डा शाखा में भुगतये बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक, जिसकी वैधता न्यूनतम दो माह शेष हो, संलग्न करना होगा।
4. परिमाण विपत्र निबंधित संवेदक या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को (प्राधिकार पत्र में अंकित पहचान दस्तावेज की छाया प्रति के साथ मूल प्रति प्रस्तुत करने पर) निर्गत किया जायेगा।
5. निविदा के साथ विभागीय निबंधन प्रमाण पत्र, जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण पत्र एवं जी०एस०टी० रिटर्न, पैन कार्ड, विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, उपायुक्त/ आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, विद्युत कार्य अनुज्ञा पत्र (यदि कार्य में विद्युत कार्य मद हो) या निविदाकार एवं अनुज्ञा पत्र धारक दोनों द्वारा कार्य विशेष हेतु नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र, जो निविदा प्रकाशन के बाद का हो तथा भवन निर्माण विभाग की संवेदक निबंधन नियमावली 2015 की कंडिका- 5.1.7 के अनुरूप नियोजित अभियंता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान- पत्र तथा नियोजन से संबंधित उभय पक्षों का शपथ पत्र की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति संलग्न करना होगा।
6. भवन निर्माण विभाग की संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के अनुसार श्रेणी- 3 के निविदादाता को डम्पर, ट्रक, ट्रैक्टर, डोजर, टैंकर, पम्पस, जेनरेटर, कंक्रीट मिक्सचर, भाइब्रेटर में से किसी तीन का स्वामित्व/ लीज डीड का स्वहस्ताक्षरित कागजात संलग्न करना होगा। श्रेणी- 4 हेतु यंत्र- संयंत्र कागजात की आवश्यकता नहीं है।
7. अग्रधन की राशि झारखण्ड राज्य अंतर्गत किसी डाकघर से निर्गत एन०एस०सी० (अद्यतन निर्गम), तीन/ पांच वर्षीय सावधि जमा पासबुक अथवा राज्य स्थित अनुसूचित बैंक की किसी शाखा द्वारा निर्गत फिक्स डिपोजिट रसीद/ बैंक गारंटी के रूप में होगी जिसे कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा के पदनाम से प्रतिज्ञित (Pledged) कराकर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। बैंक गारंटी की सुविधा फर्म/ कंपनी/ पब्लिक इंटरप्राइजेज को ही होगी। अग्रधन की राशि की वैधता निविदा प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों बाद तक का होना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को अपना दर अंकों एवं अक्षरों में निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा। गैर अनुसूचित मदों की दरें दशमलव के दो अंकों तक ही अंकित की जाय, अन्यथा दरें अमान्य होगी। भिन्नता की स्थिति में अक्षरों में अंकित दर मान्य होगी। पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या- 2146(S) दिनांक- 09.09.2020 के आलोक में उद्धृत दर मान्य होगा।
9. निविदा के साथ NIT में अंकित अवधि में कार्य सम्पादन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम संलग्न करना होगा।
10. सशर्त निविदा अमान्य होगी। निविदा डालने के पूर्व स्थल निरीक्षण कर निर्माण हेतु संसाधनों की उपलब्धता तथा कार्य परिस्थितियों का आकलन कर लें। बाद में इस आधार पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार व्यवहृत लघु खनिजों के क्रय से संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा निर्गत चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमावली के प्रावधानानुसार भुगतान किया जायेगा। जिला खनन कार्यालय द्वारा सत्यापन में गलत पाए जाने पर संवेदक विहित दंड के पात्र होंगे।
12. संवेदकों को झारखण्ड राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान करना अनिवार्य होगा तथा तत्समय प्रभावी श्रम कानूनों का अनुपालन करना होगा।
13. संवेदकों को निर्माण सामग्रियों की तथा यथावश्यक अन्य गुणवत्ता जांच सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से कराकर जांच प्रतिवेदन देना होगा।
14. निविदा के साथ संवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें न तो काली सूची में डाला गया है न ही डिबार किया गया है और न ही किसी कार्यालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थानीयता/ वरीयता के आधार पर कार्यावंटन किया गया है।
15. कार्यावंटन के उपरान्त निदेशित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर लेना होगा अन्यथा कार्यावंटन रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित रहने से संबंधित कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. उपयोग में लाए गए सीमेंट के खाली बैगों की कीमत की नियमानुसार कटौती विपत्र से की जाएगी।
18. प्राक्कलन, नक्शा, निरूपण एवं अन्य विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से संपर्क करें तथा सूचना पट्ट पर देखें।
19. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति की तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त कार्य अगले कार्य दिवस को होंगे।
20. बिना कारण बताए निविदा को स्थगित/ रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।